(1)

98

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

निर्मला देवी वेवा पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर, आयु–50 वर्ष लगभग, निवासी–ग्राम खेरा, मौजा थरा, अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

.....आवेदिका

बनाम

राघवेन्द्र सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर, निवासी– ग्राम खेरा, मौजा थरा, अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक–21.12.2015 प्रकरण क्रमांक–26/14–15–अ/6 में पारित

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, मौजा थरा, तहसील अम्बाह जिला मुरैना, में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–2764/1 पुराना क्रमांक–2029 रकवा 0.36 हैक्टेयर सर्वे–2770/2 पुराना क्रमांक–2024 रकवा 0.39 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक–2794 पुराना क्रमांक–3464 रकवा 0.70 हैक्टेयर सर्वे 2844 पुराना क्रमांक–3463 रकवा 0.88 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक–2852 पुराना क्रमांक–3458 रकवा 0.33 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 2853/1 पुराना क्रमांक 3457 रकवा 0.01 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 2854 पुराना क्रमांक–3465 रकवा 0.91 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में आवेदिका के ससुर होतम सिंह के नाम अंकित है। जो विवादित भूमि के रूप में आगामी पदो में सम्बोधित की जायेगी। विवादित भूमि आवेदिका की पैत्रिक सम्पत्ति है जो होतम सिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। संयुक्त हिन्दू परिवार का सजरा निम्नानुसार है–

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक 593–एक/2015 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों हस्ताक्षर
4-11-16	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह निगरानी तहसीलदार अम्वाह के प्रकरण कमांक 28/2014–15 अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 के विरूद्व प्रस्तुत है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार अम्वाह व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 से आवेदक की साक्ष्य हेतु आगामी तिथी नियत की है, जबकि इसके पूर्व की पेशी 30–11–15 में तहसीलदार ने आपत्ति के निराकरण एंव आवेदक की साक्ष्य हेतु पेशी 21–12–15 नियत की है। पेशी 21–12–15 में आपत्ति के निराकरण पर विचार न करते हुये प्रकरण सीधे आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत कर दिया है। आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि तहसीलदार व्दारा संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि के गलत अंतरण पर नामान्तरण कार्यवाही की जा रही है और नामान्तरण कार्यवाही अनावेदक के हित में पूर्ण कर दी गई तो वह आवेदिका को बलपूर्वक पैत्रिक भूमि से बेदखल कर देगा, जबकि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्वाह के न्यायालय में स्वत्व का विवाद कमांक 31 ए/2015 ई0दी0 उभय पक्ष के बीच लंबित है एंव अंतरिम आदेश दिनांक 23–11–15 से स्थगन भी है। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि व्यवहार वाद के प्रचलित रहने के कारण नामान्तरण कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती। तहसीलदार का निर्णय सही है। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह सही है कि वादग्रस्त संपत्ति के सम्बन्ध में स्वत्व का विवाद कमांक 31 ए/2015 ई0दी0 उभय पक्ष के बीच लंबित है एंव संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों के विपरीत नामान्तरण कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित कार्यवाही नहीं है जब तक कि सिविल वाद से स्वत्व का विनिश्य न हो जाय, जिसके कारण तहसीलदार अम्वाह व्दारा प्रकरण कमांक 26/अ–6/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है। सदस्य	